पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2025/101 (आठ)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

शम्स जावेद अंसारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), लखीसराय।

पटना, दिनांक 17/3/26

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार पंचायत चुनाव, 2011 के निमित यात्रा व्यय मद में लंबित डी०सी० विपत्रों के समायोजन हेतु कुल ₹6,40,690.00 (छह लाख चालीस हजार छह सौ नब्बे रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत चुनाव, 2011 के निमित यात्रा व्यय मद में लंबित डी०सी० विपत्रों के समायोजन हेतु जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), लखीसराय को विपत्र कोड–16–2015001090002 के "विषय शीर्ष–0002.11.01–यात्रा व्यय" मद से कुल ₹6,40,690.00 (छह लाख चालीस हजार छह सौ नब्बे रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष– 109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" के अंतर्गत "0002.11.01–यात्रा व्यय" मद से की जायेगी। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16–2015001090002 है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), लखीसराय होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, लखीसराय से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर ही राशि की निकासी एवं भुगतान करेगें। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

Aditi

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी हेतु कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. राशि का आवंटन इस शर्त्त के साथ दी जा रही है कि निर्वाचन मद में A.C विपत्रों के विरूद्ध की गई निकासी का D.C विपत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा कराने के उपरांत ही राशि की निकासी की जायेगी।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2025 के पृष्ठ संख्या ......60........../टि० पर दिनांक 17|03|26....... को प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव

Aditi

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx 108

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2025/101(अ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 17/3/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/जिला कोषागार, लखीसराय/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय/प्रभारी पदाधिकारी–06 (निर्वाचन) एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.26

(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2025/101(अ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 17/3/26

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17.3.26

(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव

Aditi